सचिका सं0–7/बजट–46–40/2025 – 360 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 16/10/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत कार्यरत सभी संविदागत कर्मियों के मानदेय में राज्य योजना मद से 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि मद में कुल रू0 50,00,00,000/– (रूपये पचास करोड़) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सबंध मे कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय सकल्प स0–339(7) दिनांक–04.10.2025 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों के मनोबल बढाने एव प्रभावी कार्य संस्कृति को विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत कार्यरत सभी संविदागत कर्मियों द्वारा NHM अन्तर्गत दिनाक 01 09 2025 को आहरित मासिक मानदेय पर 10 प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन राशि के रूप मे राज्य योजना मद से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह प्रोत्साहन राशि प्रत्येक माह के लिए नियत रहेगी तथा इस पर NHM द्वारा अनुमान्य वार्षिक वृद्धि की गणना नहीं की जाएगी। दिनांक 31.08.2025 के पश्चात नव नियुक्त कर्मियों के Entry Level Salary (मानदेय) पर उक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि लागू होगा ।

2– वित्तीय वर्ष 2026–27 मे उक्त योजना अंतर्गत विभागीय पत्रांक–191(7ए) दिनांक–09 06 2026 के माध्यम से रू0 3,30,00,000/– (रूपये तीन करोड तीस लाख) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान मे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक–4155 दिनांक–01 10 2026 के द्वारा कुल रू0 68,70,00,000/– (रुपये अडसठ करोड सत्तर लाख) मात्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदागत कर्मियों के मानदेय में राज्य योजना मद से 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि मद में वर्तमान में कुल रू0 50,00,00,000/– (रूपये पचास करोड़) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– इस राशि का व्यय का वहन राज्य स्कीम मद के मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–उप मुख्य शीर्ष–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाऐ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उप शीर्ष–0107–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड–20-2210-03-110-0107, विषय शीर्ष–31 04 (सहायक अनुदान–वेतन) अतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5– इस राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाए, बिहार, पटना होगें।

6— निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म सख्या—46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता—PBBPLA011 एव विपत्र कोड—00-8448001200027-0001 के अन्तर्गत ledger ID में सुलभ करायेगें। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेगें।

7— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम—341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

8— यह स्वीकृत्यादेश स्वास्थ्य विभागीय सकल्प सं0—339(7) दिनांक—04.10 2025, वित्त विभागीय परिपत्र सं0—2561/वि0(2) दिनांक—17.04 1998, 2419/ वि0(2) दिनांक—05 04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक—27.11.2007, 96/वि0(2) दिनाक—03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनाक—09.04.2010 एवं 12888/वि०, दिनांक—03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

9— प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

10— प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

11— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

12— राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.X.26.

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:—7/बजट— 46—40/2025 - 360 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक— 16/10/2026

प्रतिलिपि— योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अतर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी—7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16.X.26.

सरकार के अपर सचिव।